

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
 पत्रांक— ११५ /मी०क्षे० /३३दिनांक, मीरजापुर, सितम्बर २६- २०२२

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के रेनकूट वन प्रभाग अन्तर्गत में हिण्डालको इण्डरस्ट्रीज लिंग रेनकूट को १३२ के०वी० विद्युत परेषण लाइन के खम्मे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी ६.३९४ हे० वन भूमि की लीज को पुनः २५ वर्षों हेतु दिनांक- ०१.०४.२०२२ से दिनांक- ३१.०३.२०४७ तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।  
 (ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/140402/2021)

संदर्भ-

आपका पत्र संख्या-२६९०/११-सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक-२४.०३.२०२२

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त उल्लिखित कमियों/अभिलेखों के निराकरण के पश्चात संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-८०६/रेनकूट/१५-२६ दिनांक ०३.०९.२०२२ (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित कमियों/अभिलेखों के प्रतिवर्तन के पश्चात संशोधित प्रस्ताव ०३ प्रतियों में संस्कृति सहित निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है:-

क्र०स०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-२६९०/११-सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक-२४.०३.२०२२ में इगित की गयी कमियों का विवरण।	अनुपालन आख्या
# १	२	३
१	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-३४३/११-सी, दिनांक १४.०८.२०२० को क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र १००प्र०, लखनऊ द्वारा प्रतिहस्तान्तरित नहीं है।	इस विन्दु के अनुपालन में पत्रांक-३४३/११-सी दिनांक- १४.०८.२०२० के क्रम में प्रतिहस्तान्तरित की गयी है।
२	प्रस्ताव में DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु अपर प्रधान मुख्य वन का प्रमाण पत्र संलग्न द्वारा जारी किया गया संरक्षक, आई०टी०, ००प्र०, लखनऊ द्वारा जारी किया गया संरक्षक, आई०टी०, ००प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या- ०६१/१२-४२-२ (जी०आई०एस०) लखनऊ दिनांक- ०८.०८.२०२२ द्वारा से DSS Analysis सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई०टी०, ००प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या- ०६१/१२-४२-२ (जी०आई०एस०) लखनऊ दिनांक- ०८.०८.२०२२ द्वारा से DSS Analysis सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- ६६ पर संलग्न किया गया है।
३	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के दृक्खारोपण के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध हैं, जिसमें पुनः बौने (औषधीय) पौधों का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः उपरोक्त स्थल का सत्यापित कलर फोटोग्राफ संलग्न किया जाये।	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत द्रान्समिशन लाइन के प्रारम्भिक विन्दु, नव्य विन्दु एवं अन्तिम विन्दु का ए-४ साईज का कलर फोटोग्राफ से प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- ६७ ए पर संलग्न किया गया है।
४	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज अवधि दिनांक ०१.०४.१९७२ से दिनांक ३१.०३.१९९७ तक का उल्लेख है। प्रथम लीज की प्रारम्भ तिथि ०१.०४.१९७२ किस आधार पर ली गयी है। इससे सम्बन्धित कोई भी रास्त्य प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। संलग्न करें।	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनकूट द्वारा अवगत कराया है कि वन भूमि १५.८० एकड़ (६.३९४ हे०) प्रथम वार ००प्र० शासन के आदेश संख्या-४४८७(२)/१४-२-७९४/७२ दिनांक-०२.०९.१९७२ द्वारा २५ वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये

		<p>जाने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— 8 पर संलग्न है। उक्त आदेश के अनुसार लीज की अवधि दिनांक— 02.09.1972 से 01.09.1997 तक 25 वर्षों हेतु मानी गयी थी। किन्तु लीज के प्रथम नवीनीकरण संबंधित जारी आदेश संख्या—774/14-2-2000-749/72 दिनांक— 02.03.2001 में लीज की अवधि दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक अंकित किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— 11-13 पर संलग्न किया गया है।</p>
5	हार्डकापी भाग—2 में प्रथम लीज अवधि दिनांक 09.08.1972 से दिनांक 08.08.1997 तक तथा द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से दिनांक 31.03.2022 तक का उल्लेख है। उपरोक्त से यह विदित होता है कि प्रथम लीज अवधि दिनांक 08.08.1997 को समाप्त होने से पूर्व ही द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से प्रारम्भ हो गयी। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः इससे सम्बन्धित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न कर स्पष्ट करें।	<p>इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि वन भूमि 15.80 एकड़ (6.394 हेक्टेक्टर) प्रथम वार उ0प्र० शासन के आदेश संख्या—4887(2)/14-2-794/72 दिनांक—02.09.1972 द्वारा 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— 8 पर संलग्न है।</p> <p>उक्त आदेश के अनुसार लीज की अवधि दिनांक— 02.09.1972 से 01.09.1997 तक 25 वर्षों हेतु मानी गयी थी। किन्तु लीज के प्रथम नवीनीकरण संबंधित जारी आदेश संख्या—774/14-2-2000-749/72 दिनांक— 02.03.2001 में लीज की अवधि दिनांक— 01.04.1997 से 31.03.2022 तक अंकित किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— 11-13 पर संलग्न किया गया है। उक्त आदेश उ0प्र० शासन द्वारा नियम लेते हुए जारी किया गया है।</p>
6	प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट—2 संलग्न है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक् करें।	<p>इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में संलग्न किये गये पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट—2 को प्रस्ताव से पृथक् करा दिया गया है।</p>
7	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग—3 मूल में संलग्न नहीं है।	<p>इस विन्दु के अनुपालन में भाग—3 मूल में संस्तुति सहित संलग्न किया गया है।</p>
8	वन स्वरूप चिह्नित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में आशय स्पष्ट नहीं है। अतः स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करें।	<p>इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रभाग स्तर से वन स्वरूप के रूप में चिह्नित किये गये क्षेत्रों में प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है।</p>
9	हार्डकापी भाग—2 में क्षतिपूरक यूक्सारोपण से सम्बन्धित विवरण आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग—2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	<p>इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण ऑन लाइन भाग—2 के क्रम संख्या— 13(i)(ii)(iii) में अपलोड करते हुए संबंधित अग्निलेखों को चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न किया गया है।</p>
10	हार्डकापी भाग—2 में मूल लीज का आदेश सं0-4050/14-2-794/72, दिनांक 09.08.1997 तथा प्रस्ताव में संलग्न आदेश में उक्त दिनांक 02.09.1972 एवं 01.09.1972 अंकित कर ओवर राइटिंग की गयी है। जिससे आदेश जारी होने की तिथि ग्रामक है। अतः सही लीज का आदेश संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड किया	<p>इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के हार्डकापी भाग—2 को संशोधित करते हुए प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— 4 पर संलग्न करते हुए ऑन लाइन भाग—2 में अपलोड करा दिया गया है।</p>

	जाये।	
11	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज का आदेश सं0-4887(2)/14-2-794/72, दिनांक 02.09.1972 का उल्लेख है, जोकि प्रस्ताव में इस आदेश सं0 का कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है। अतः रिथर्ट स्पष्ट कर संलग्न करें।	इस विन्दु के अनुपालन ने प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 02.09.1972 की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 8 पर संलग्न करा दिया गया है।
12	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-18 एवं 38 में भारत सरकार के आदेश सं0 का दिनांक 06.10.2002 अंकित है, जोकि गलत है। अतः सही दिनांक अंकित कर संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का डिलिट कर ऑनलाइन अपलोड करें।	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 18 एवं 38 पर संलग्न अभिलेखों में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश की सही तिथि दिनांक-06.10.2000 अंकित कराते हुए ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का प्रमाण पत्र हटाते हुए संशोधित प्रमाण-पत्र अपलोड करा दिया गया है।
13	उपरोक्त इंगित कर्मियों का निराकरण करने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियों तथा ऑनलाइन में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को डिलिट कर उपरोक्तानुसार राशोधित अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करें।	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव की 3 प्रतियों संलग्न किया जा रहा है।
14	संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राईव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राईव में अपलोड कराते हुए पेनड्राईव तीनों प्रस्तावों में अलग-अलग संलग्न करा दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित विन्दुवार आख्या एद्दसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
 (रमेश चन्द्र झा)  
 मुख्य वन संरक्षक  
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- ॥ १५ अ / समिनांकित

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को पत्र संख्या-806/रेनुकूट/15-26 दिनांक 03.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)  
 मुख्य वन संरक्षक  
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

८८